

21.5
२५

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को
अंतिम विदायत की गई थी कि आगामी
पेशी पर तामिल की रसीदें पेश करें,
अन्यथा आदेश ७ नियम ५ के तहत आदेश
खारिज किया जायेगा लेकिन वकील वादी
ने आज दिनांक तक तामिल की रसीदें
पेश नहीं की। अतः वादी का वाद
आदेश ७ नियम ५ के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

J. S. S.

उपसंग्रह अधिकारी
बंतारामगढ़ (सीकर)